न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

देवीलाल पुत्र हरफूल मीणा पता ए–54, सरस्वती नगर, गैटोर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर – अपीलाण्ट

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–35/19 ता.रजु–06.12.2019

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–06.01.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर '' बिन्दू संख्या 1 में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ख.नं. 343, 326, 205 ग्राम बीजलपुर और भरक्या पर की गई कार्यवाही एवं बिन्दू संख्या 2 में बीजलपुर के ख.नं. 336/396, 337/397, 378/394 पर की गई कार्यवाही'' आदि कुल दो बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी जिसे लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक सू.अ.अ./2019/610 दिनांक 24.12.2019 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 17.10.2019 को कार्यालय में प्राप्त होने पर सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करौली से होने के कारण पत्रांक 462 दिनांक 18.10.2019 द्वारा उन्हें धारा 6(3) आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत निर्धारित समय अवधि में अंतरित कर दिया जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई थी। उक्त पत्रांक 610 दिनांक 24.12.2019 की प्रति प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार करौली एवं अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. तहसीलदार करौली ने पत्रांक 462 दिनांक 18.10.2019 के क्रम में अपीलार्थी को सूचना हेतु 10/– का शुल्क जमा करवाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 611 दिनांक 25.10.2019 द्वारा सूचित किया है जिसकी प्रति इस न्यायालय में पेश की है।
7. अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय अवधि में आवेदन को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करौली को अंतरित किया जा चुका है एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करौली द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपीलार्थी को सूचना हेतु वांछित शुल्क जमा करवाने के लिए सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करौली के कार्यालय में 10/– रुपये का शुल्क जमा करवा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested